

कार्यालय जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 773 / जिप/2018
प्रति,

रीवा दिनांक 15/5/18

जिला सूचना अधिकारी
कलेक्ट्रेट जिला रीवा

विषय :- निविदा सूचना अपलोड किये जाने बावत।

विषयान्तर्गत कार्यालय जिला पंचायत रीवा में वाहन लगाये जाने हेतु निविदा प्रकाशित की गई है। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट www.rewa.nic.in पर अपलोड की जानी है।

अतः संलग्न निविदा शर्तें एवं विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट www.rewa.nic.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(मयंक अग्रवाल)

(I.A.S.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रीवा (म0प्र0)

**वाहन उपलब्ध कराए जाने हेतु
आवेदन फार्म**

1. फर्म/व्यक्ति का नाम
2. फर्म का रजिस्ट्रेशन क्र. दिनांक
3. म.प्र. आर.टी.ओ. में रजिस्ट्रेशन क्र. एवं दिनांक
4. फर्म का बैंक खाता संख्या व नाम
5. जीएसटी क्र. दिनांक
6. अनुबंधकर्ता का नाम
7. अनुबंधकर्ता का पता
8. व्यवसाय का प्रकार
9. वाहन वर्ष 2016 मॉडल के बाद का अच्छी कंडीशन में हो।

निविदा की शर्तें :-

10. वाहन स्कार्पियो, सफारी, स्टार्म, हेक्सा, इनोवा के 02 वाहन की एवं बुलेरो न्यू टाप मॉडल के न्यूनतम 06 वाहनों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व निविदा कर्ता की होगी।
11. वाहन के संबंध में सभी प्रकार के टैक्स जोड़कर न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार्य होगी।
12. वाहन मासिक किराए में 31 मार्च 2019 तक के लिए अनुबंधित किये जाएंगे। अथवा कार्य हेतु वाहन की आवश्यकता/ निरंतरता को दृष्टिगत रखते हुए आपसी सहमत से अनुबंध की अवधि बढ़ाया जा सकता है।
13. वाहन वर्ष 2016 मॉडल के बाद का अच्छी कंडीशन में होना चाहिए।
14. निविदाकर्ता द्वारा जिला पंचायत रीवा के लेखा कक्ष में राशि रु500/- (पांच सौ रु मात्र) नगद जमा कर विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस (अवकाश अवधि जोड़कर) के भीतर लेक्य किया जा सकता है। साथ ही क्य किए गए निविदा फार्म एवं शर्तों में निहित प्रावधानों के तहत अभिलेख इत्यादि संलग्न कर विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से **21 दिवस** के भीतर ही लेखाकक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक वाहन की अमानत राशि रु1000/- (एक हजार रु मात्र) होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के नाम से तैयार कराया जाकर लिफाफा नं.2 जमा करना होगा।
16. वाहन, वाहन चालक सहित उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। पीओएल का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
17. निविदा की भी समय बिना किसी कारण के समाप्त किए जाने एवं निविदा से संबंधित संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को होगा।

18. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास न्यूनतम 5 वाहन स्वयं के नाम से या उसकी फर्म के नाम पर होना आवश्यक है, यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्य वाहन मालिक का फर्म के लिये वाहन उपलब्धता का सहमति पत्र मान्य नहीं होगा। साझेदारी फर्म की दशा में फर्म के साझेदारों के नाम पर एवं एकल स्वामित्व होने पर मालिक के नाम पर 05 वाहन होना अनिवार्य है।
19. निविदा में प्रस्तुत वाहनों का रजिस्ट्रेशन (निविदा प्रकाशन के पूर्व) मध्यप्रदेश आरटीओ में होना आवश्यक होगा।
20. निविदाकार के पास वैध जीएसटी नं. होना आवश्यक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन निविदा प्रकाशन दिनांक से पूर्व होना आवश्यक होगा।
21. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें लिफाफा नं.1 में टेक्निकल विड, लिफाफा नं.2 में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक एवं लिफाफा नं.3 में फायनेंसियल प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें से सर्वप्रथम लिफाफा नं.1 में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई टेक्निकल विड (अभिलेखों) का परीक्षण करने के उपरांत शर्तों के तहत पात्र होने के उपरांत ही मान्य होने के उपरांत ही फायनेंसियल विड खोली जावेगी।
22. निविदा दिनांक 30/5/2018 को दोपहर 3:00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में गठित समिति के समक्ष में खोली जावेगी, जिसमें निविदाकार उपस्थित रहें।
23. वाहन में किसी भी प्रकार के टूट-फूट की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
24. टोल टैक्स निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
25. वाहनो का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
26. शासन द्वारा बुलेरो के लिये रु. 20000.00 प्रतिमाह एवं स्कार्पियो, सफारी, स्टार्म, हेक्सा, इनोवा के लिये रु. 25000.00 निर्धारित किया गया है। इस दर के नीचे ही निविदा कर्ता द्वारा दर रखी जायें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीवा (म.प्र.)

टेक्निकल विड

लिफाफा नं.1 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेज :-

1. निविदा फर्म
2. फर्म के पंजीयन की छायाप्रति ।
3. म.प्र. आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति ।
4. वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति ।
5. वाहन के बीमा संबंधी जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
6. वाहन मालिक/वाहन चालक का आधार कार्ड की छायाप्रति ।
7. वाहन से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज ।
8. उल्लेखित शर्तों के तहत आवश्यक अभिलेख ।

फर्म का नाम

हस्ताक्षर

सील

मो.नं.

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सत्य है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये मुझे/फर्म को कार्य से हटाया जा सकता है।

फर्म का नाम

हस्ताक्षर

सील

मो.नं.

लिफाफा नं.2 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पक्ष में अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक

फायनेंसियल विड

लिफाफा नं.3 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वाहन की दर :-

1. वाहन का न्यूनतम दर (समस्त प्रकार के करो सहित)

क्र.	वाहन का नाम	वाहन उपलब्धता हेतु मासिक न्यूनतम दर (सभी टैक्स जोड़कर)	वाहन	मॉडल क्र. / वर्ष	वाहन का पंजीयन क्र. / दिनांक	वाहन की जीवित बीमा क्र. / दिनांक	वाहन का कलर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सफारी स्ट्रोम,						
2	हेक्सा						
3	इनोवा						
4	स्कार्पियो						
5	बुलेरो						

फर्म का नाम

हस्ताक्षर

सील

मो.नं.